रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-24062022-236796 CG-DL-E-24062022-236796

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 448] No. 448] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 24, 2022/आषाढ़ 3, 1944 NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 24, 2022/ASHADHA 3, 1944

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जून, 2022

- सा.का.नि. 469(अ).—केन्द्रीय सरकार, नई दिल्ली अन्तरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र अधिनियम, 2019 (2019 का 17) की धारा 30 की उपधारा (2) के खंड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र के सचिवालय के रिजस्ट्रार, काउंसेल और अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों, अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या, अर्हताएं, नियुक्ति तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तों का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-
- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नई दिल्ली अन्तरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र (रजिस्ट्रार, काउंसेल और अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के पदों की संख्या और भर्ती) नियम, 2022 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. परिभाषाएं.— (1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
 - (क) "अधिनियम" से नई दिल्ली अन्तरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र अधिनियम, 2019 (2019 का 17) अभिप्रेत है ;
 - (ख) "केंद्र" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित और निगमित नई दिल्ली अन्तरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र अभिप्रेत है ;
 - (ग) "काउंसेल" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे अधिनियम की धारा 23 के अधीन काउंसेल के रूप में नियुक्त किया गया है ;
 - (घ) "कर्मचारी" से केंद्र के कर्मचारी अभिप्रेत है ;
 - (ङ) "अधिकारी" से केंद्र के अधिकारी अभिप्रेत है ;
 - (च) "रजिस्ट्रार" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे अधिनियम की धारा 23 के अधीन रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त किया गया है ;

4242 GI/2022 (1)

- (छ) "अनुसूची" से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है ;
- (ज) "चयन समिति" से अनुसूची के स्तंभ (12) के अधीन निर्दिष्ट चयन समिति अभिप्रेत है ;
- (2) सभी अन्य शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं है किंतु अधिनियम में परिभाषित है क्रमश: वहीं अर्थ होंगे, जो उनके अधिनियम में है।
- **3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- **4. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.** (1) उक्त पदों पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
 - (2) यदि केन्द्र उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्थता के कारण या किसी अन्य कारण से किसी पद को भरने के लिए समर्थ नहीं है तो केंद्र किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके पास चयन समिति की राय में प्रतिनियुक्ति आधार पर उस पद पर नियुक्ति के लिए विहित अर्हताएँ है, एक वर्ष की अविध के लिए संविदा पर नियुक्त कर सकेगा जिसे अध्यक्ष के अनुमोदन से तीन वर्ष की अधिकतम अविध तक बढ़ाया जा सकेगा।
 - (3) ऐसे संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति का पारिश्रमिक केंद्र के वित्तीय सलाहकार के परामर्श से उस पद के लिए विहित वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर के प्रतिनिदेश से नियत किया जाएगा।
- (5) नियुक्ति प्राधिकारी.—अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत केंद्र का कोई अन्य अधिकारी केंद्र के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का नियुक्ति प्राधिकारी होगा ;

परंतु यह कि जहाँ केंद्र का कोई अधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी होने के लिए प्राधिकृत है वहाँ अध्यक्ष ऐसे अधिकारी का नियुक्ति प्राधिकारी होगा ;

परंतु यह और कि नियुक्ति प्राधिकारी किसी भी नियुक्ति से पहले केन्द्रीय सरकार से परामर्श करेगा ।

- 6. सीधी भर्ती के लिए प्रक्रिया (1) किसी पद पर सीधी भर्ती करने की प्रक्रिया जहाँ कहीं भी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, निम्नानुसार होगी, अर्थात् :-
 - (i) केंद्र, अखिल भारतीय आधार पर विज्ञापन के माध्यम से पद के लिए आवेदन आमंत्रित करेगा ;
 - (ii) अध्यक्ष द्वारा गठित छानबीन समिति द्वारा आवेदनों की छानबीन की जाएगी ;
 - (iii) यदि प्राप्त आवेदनों की संख्या अधिक हैं तो चयन समिति एक खुली प्रतियोगिता प्रक्रिया के आधार पर चयनित ऐसी परीक्षा आयोजित करने के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले अभिकरण के माध्यम से आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक परीक्षा की सिफारिश कर सकेगी।
- (2) केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण;
- (3) चयन समिति द्वारा भर्ती की जाएगी।
- 7. प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति की प्रक्रिया.—प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति की प्रक्रिया जहां भी अनुसूची में निर्दिष्ट है, निम्न अनुसार होगी, अर्थात् :—
 - (i) केन्द्र, अखिल भारतीय आधार पर विज्ञापन के माध्यम से पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करेगा;
 - (ii) अध्यक्ष द्वारा गठित छानबीन समिति द्वारा आवेदनों की छानबीन की जाएगी;
 - (iii) चयन के लिए, चयन समिति द्वारा साक्षात्कार संचालित किया जाएगा;

परन्तु यह कि प्रतिनियुक्ति के आधार पर पदों पर आरंभिक नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाएगी ।

- 8. प्रतिनियुक्ति की अवधि.—(1) प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अन्तर्गत उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- (2) प्रतिनियुक्ति की अवधि केन्द्रीय सरकार के इस निमित्त समय समय पर जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से बढ़ाई जा सकेगी।

परन्तु प्रतिनियुक्ति की अवधि के विस्तारण के लिए प्रत्येक अनुरोध के केन्द्र के अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से केन्द्र द्वारा केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित किया जाएगा।

- (3) प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- 9. प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कर्मचारियों का आमेलन.—(1) इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त व्यक्ति, प्रतिनियुक्त की अवधि को सफलतापूर्वक पूरा करने के पश्चात्आमेलन के लिए विचार किए जाने का पात्र होगा।
- (2) आमेलन केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुपोदन से केन्द्र द्वारा किया जाएगा।
- (3) आमेलन इस शर्त के अध्यधीन होगा कि प्रतिनियुक्त व्यक्ति आमेलन के लिए अपने विकलप का प्रयोग करता है और मूल विभाग या काडर नियंत्रक प्राधिकारी को ऐसे आवेदन के लिए आपत्ति नहीं होगी ।
- 10. अनुशासनिक कार्यवाही.—केन्द्र के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियां, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार के तत्स्थायी वेतनमान के समूह क, समूह ख या समूह ग पदों के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों पर लागू नियमों और विनियमों के अनुसार होगी।
- 11. वास-सुविधा.—केन्द्र के अधिकारी और कर्मचारी उसी दर पर मकान किराए भत्ते के हकदार होंगे जो केन्द्रीय सरकार के उसी स्थान पर तैनात तत्स्थानी वेतनमान में पदधारण करने वाले, यथास्थिति, समूह क, समूह ख और समूह ग के अधिकारियों और कर्मचारियों को अनुज्ञेय है।
- 12. सेवा की शर्तें.—वेतन, भत्ते, छुट्टी, भविष्य निधि, अधिवर्षिता की आयु, पेंशन और सेवानिवृत्त फायदे, चिकित्सा सुविधाएं और सेवा की अन्य शर्तों के मामलों में केन्द्र के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों ऐसे नियमों और विनियमों के अनुसार विनियमित की जाएंगी, जो केन्द्रीय सरकार में तत्स्थानी वेतन में, यथास्थिति, समूह क, समूह ख या समूह ग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर तत्समय लागू है।

13. निरर्हता.—वह व्यक्ति –

- (क) जिसने ऐसे व्यकृति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है उक्त किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 14. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 15. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।
- **16. अवशिष्ट उपबंध.**—ऐसे मामले, जिनके संबंध में इन नियमों के अधीन कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं किया गया है, केन्द्र द्वारा विनिश्चय के लिए केन्द्रीय सरकार को निर्दिष्ट किए जाएंगे।

अनुसूची

पदका नाम।	पद संख्या ।	वर्गीकरण ।	वेतन मैट्रिक्स	चयन पद अथवा	सीधी भर्ती किए जाने
			में स्तर ।	अचयन पद ।	वाले व्यक्तियों के लिए
					आयु-सीमा ।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. रजिस्ट्रार।	01* (2022)	लागू नहीं होता ।	स्तर – 13।	चयन ।	पचास वर्ष से अधिक
	 *कार्यभार के आधार पर				नहीं ।
	परिवर्तन किया जा				
	सकता है ।				

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हता ।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	अवधि, यदि	भर्ती की पद्धति ।
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक - क. (i) विधि में बैचलर डिग्री; या (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से प्रबंधन; और ख. केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वशासी निकायों में विधि या प्रबंधन के क्षेत्र में सोलह वर्ष का अनुभव। वांछनीय: माध्यस्थम मामलो संबंधी कार्य में अनुभव।	नहीं ।	एक वर्ष ।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित) और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन नियुक्तियों के संबंध में विचार करने के समिति		भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)		(13)
प्रोन्नति : उप रजिस्ट्रार जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालयों या अधिकरणों या स्वशासी निकायों के ऐसे अधिकारी:- (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-12 में नियुक्ति के पश्चात् उस पद पर तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो; या (iii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 में नियुक्ति के पश्चात् उस पद पर आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि या प्रबंधन में डिग्री रखता हो; और	 केंद्र के अध्यक्ष सचिव, विधि कार्य विभाग या उनका नामनिर्देशिती मुख्य कार्यपालक अधिकारी अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट विशेषज्ञ सदस्य 	- अध्यक्ष - सदस्य - सदस्य - सदस्य	लागू नहीं होता ।

वांछनीय - माध्यस्थम विधि में तीन वर्ष का	
अध्यापन अनुभव या माध्यस्थम मामलों में तीन	
वर्ष का कार्य अनुभव ।	
44 10 104 913141	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. उप रजिस्ट्रार ।	01* (2022)	लागू नहीं होता।	स्तर – 11 ।	अचयन ।	लागू नहीं होता ।
	*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया				
	जा सकता है ।				

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)।

(11)	(12)		(13)
प्रोन्नति : परामर्शी जिन्होंने उस श्रेणी में छह वर्ष की	1. केंद्र के अध्यक्ष	- अध्यक्ष	लागू नहीं होता।
नियमित सेवा की हो या सहायक रजिस्ट्रार जिन्होंने	2. सचिव, विधि कार्य विभाग या उनका		
उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो ।	नामनिर्देशिती	- सदस्य	
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित): केंद्रीय	3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी	- सदस्य	
सरकार या राज्य सरकार या न्यायालयों या अधिकरणों या स्वशासी निकायों के ऐसे अधिकारी:-	4. अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट विशेषज्ञ सदस्य	- सदस्य	
(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या			
(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 में नियुक्ति के पश्चात् उस पद पर पाँच वर्ष की नियमित सेवा की			
हो ; या			
(iii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-9 में नियुक्ति के			
पश्चात् उस पद पर आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो; और			
(ख) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान			
से विधि या प्रबंधन में डिग्री रखता हो; और			
वांछनीय - माध्यस्थम मामलो में तीन वर्ष का कार्य			
अनुभव।			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. परामर्शी ।	02* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता ।	स्तर – 10 ।	लागू नहीं होता ।	पैंतीस वर्ष से अधिक नहीं।

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक - (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि या प्रबंधन में स्नातक की डिग्री; (ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालयों या अधिकरणों या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या स्वशासी निकायों में विधि या प्रबंधन के क्षेत्र में चार वर्ष का अनुभव। वांछनीय: माध्यस्थम मामलो संबंधी कार्य में अनुभव।	नहीं ।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष ।	सिधी भर्ती। टिप्पण : पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थिति में एक वर्ष या अधिक अविध के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालयों या अधिकरणों या स्वशासी निकायों के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा भरी जा सकेंगी:- (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-9 में नियुक्ति के पश्चात् उस पद पर तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो; या (iii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 में नियुक्ति के पश्चात् उस पद पर पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित की गई अर्हताएं और अनुभव रखता हो।

(11)	(12)	(13)	
लागू नहीं होता।	1. केंद्र के अध्यक्ष	- अध्यक्ष	लागू नहीं होता।
	2. सचिव, विधि कार्य विभाग या उनका नामनिर्देशिती	- सदस्य	
	3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी	- सदस्य	
	4. अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट विशेषज्ञ सदस्य	- सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. सहायक रजिस्ट्रार ।	01* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता।	स्तर – 9।	चयन।	लागू नहीं होता ।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)।

(11)	(12)		(13)
प्रोन्नति : अधिकारी जिन्होंने स्तर-7 में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो और किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि में डिग्री रखता हो ।	 केंद्र के अध्यक्ष सचिव, विधि कार्य विभाग या उनका नामनिर्देशिती 	- अध्यक्ष - सदस्य	लागू नहीं होता ।
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालयों या अधिकरणों या स्वशासी निकायों के ऐसे अधिकारी :-		- सदस्य	
(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या			
(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 में नियुक्ति के पश्चात् उस पद पर तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो ; या			
(iii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 में नियुक्ति के पश्चात् उस पद पर पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और			
(ख) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि में डिग्री रखता हो; और			
वांछनीय - माध्यस्थम विधि में दो वर्ष का अनुभव ।			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. सहायक रजिस्ट्रार (लेखा) ।	01* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता ।	स्तर – 9।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)।

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित): केंद्रीय	1. केंद्र के अध्यक्ष - अध्यक्ष	लागू नहीं होता ।
सरकार या राज्य सरकार या न्यायालयों या अधिकरणों या स्वशासी निकायों के ऐसे अधिकारी:-	2. सचिव, विधि कार्य विभाग या उनका नामनिर्देशिती - सदस्य	

- (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
- (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 में सहायक लेखा अधिकारी या लेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति के पश्चात् पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो; या
- (iii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 में किनष्ठ लेखा अधिकारी या ज्येष्ठ लेखापाल या लेखापाल के पद पर नियुक्ति के पश्चात् आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो; और

वांछनीय - (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से बी. कॉम डिग्री या समत्त्व्य रखता हो।

(2) केंद्रीय सरकार के किसी संगठित लेखा विभाग द्वारा संचालित अधीनस्थ लेखा सेवा या समतुल्य में उत्तीर्ण प्रमाणपात्र रखता हो या सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान से रोकड़ और लेखा में प्रशिक्षण किया हो

- 3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी सदस्य
- 4. अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट विशेषज्ञ सदस्य सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. कार्यपालक 0 [.]	01* (2022)	लागू नहीं	स्तर – 7।	लागू नहीं	21-32 वर्ष
सहायक/सहायक अनुभाग अधिकारी अ (सूचना प्रौद्योगिकी)।	कार्यभार के आधार पर गरिवर्तन किया जा सकता है ।	होता ।		होता ।	(केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किये गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवको के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण:-आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख केंद्र द्वारा आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी।

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक -	लागू नहीं होता ।	सीधी भर्ती किए	सीधी भर्ती।
(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से इंजीनियरी स्नातक या कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर अनुप्रयोग या कंप्यूटर इंजीनियरी में प्रौद्योगिकी स्नातक हो; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर अनुप्रयोग में स्नाकोत्तर डिग्री हो; और (ii) किसी भी प्रतिष्ठित संगठन में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या आकड़े प्रक्रमण या नेटवर्किंग में तीन साल का अनुभव।		जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष ।	टिप्पण : पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थिति में एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालयों या अधिकरणों या स्वशासी निकायों के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा भरी जा सकेंगी :- (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 में नियुक्ति के पश्चात् उस पद पर पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और

		(ख) स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित की गई अर्हताएं और अनुभव रखता हो।
--	--	---

(11)	(12)		(13)
लागू नहीं होता।	1. केंद्र के अध्यक्ष	- अध्यक्ष	लागू नहीं होता ।
	2. सचिव, विधि कार्य विभाग या उनका नामनिर्देशिती	- सदस्य	
	3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी	- सदस्य	
	4. अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट विशेषज्ञ सदस्य	- सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. कार्यपालक	03* (2022)	लागू नहीं	स्तर – 7।	लागू नहीं	21-32 वर्ष
सहायक/ सहायक	*कार्यभार के	होता ।		होता ।	(केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किये गए
अनुभाग अधिकारी ।	आधार पर				अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी
	परिवर्तन किया जा				सेवको के लिए चालीस वर्ष तक
	सकता है ।				शिथिल की जा सकती है।
					टिप्पण :-आयु-सीमा अवधारित करने के
					लिए निर्णायक तारीख आवेदन प्राप्त
					करने के लिए नियत की गयी अंतिम
					तारीख होगी ।)

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक - (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से स्नातक की डिग्री; (ii) किसी केंद्रीय या राज्य सरकार संस्थान या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से कम से कम छह महीने की	(o) लागू नहीं होता ।	(अ) सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष ।	` ,
अवधि का कंप्यूटर अनुप्रयोग में डिप्लोमा या प्रमाण पत्र; और (iii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वशासी निकाय में प्रशासन के क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव (नियमित या संविदा पर)।			संविदा सहित) द्वारा भरी जा सकेंगी :- (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 में नियुक्ति के पश्चात् उस पद पर पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो ; या (iii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 में नियुक्ति के पश्चात् उस पद पर आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो ; और

	(ख) स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित की गई अर्हताएं और अनुभव रखता हो।

(11)	(12)	(13)	
लागू नहीं होता ।	1. केंद्र के अध्यक्ष	- अध्यक्ष	लागू नहीं होता ।
	2. सचिव, विधि कार्य विभाग या उनका नामनिर्देशिती	- सदस्य	
	3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी	- सदस्य	
	4. अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट विशेषज्ञ सदस्य	- सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8. कार्यपालक सहायक/ सहायक अनुभाग अधिकारी (लेखा)।	01* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा	लागू नहीं होता ।	स्तर – 7 ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।
	सकता है ।				

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) ।

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालयों या अधिकरणों या स्वशासी निकायों के ऐसे अधिकारी :-	1. केंद्र के अध्यक्ष	लागू नहीं होता ।
आवश्यक :- (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या	3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी - सदस्य 4. अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट विशेषज्ञ सदस्य - सदस्य	
(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 में उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो ; या		
(ख) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से स्नातक की डिग्री रखता हो ।		
वांछनीय :- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बी. कॉम डिग्री;		
(ii) केंद्रीय सरकार के किसी संगठित लेखा विभाग द्वारा संचालित अधीनस्थ लेखा सेवा या समतुल्य में उत्तीर्ण प्रमाणपात्र रखता हो ;		

भारत का राजपत्र : असाधारण

(iii) सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान से	
रोकड़ और लेखा में प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा	
किया हो ; और	
(iv) कंप्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान ।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9. निजी सचिव ।	04* (2022)	लागू नहीं होता ।	स्तर – 8।	अचयन ।	लागू नहीं होता ।
	*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।				

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता ।	(i) पात्र अभ्यर्थियों की 'योग्यता सह ज्येष्ठता' के आधार पर पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा। (ii) पचास प्रतिशत प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा।

(11)	(12)		(13)
प्रोन्नति : स्तर-7 में ऐसे आशुलिपिक श्रेणी 'ग' जिन्होंने उस श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा	 केंद्र के अध्यक्ष सचिव, विधि कार्य विभाग या उनका 	- अध्यक्ष	लागू नहीं होता ।
की हो।	नामनिर्देशिती	- सदस्य	
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालयों या	3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी	- सदस्य	
अधिकरणों या स्वशासी निकायों के ऐसे अधिकारी:-	4. अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट विशेषज्ञ सदस्य	- सदस्य	
(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या			
(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 में कोर्ट मास्टर या आशुलिपिक श्रेणी 'ग' के पद पर			
नियुक्ति के पश्चात् दो वर्ष की नियमित सेवा की			
हो ; और			
(ख) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से स्नातक की डिग्री रखता हो; और			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10. निजी सहायक (आशुलिपिक श्रेणी 'ग')	03* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता ।	स्तर – 7।	लागू नहीं होता।	21-32 वर्ष। (केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)

		टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के
		लिए निर्णायक तारीख केंद्र द्वारा आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की
		गयी अंतिम तारीख होगी ।

(7)	(8)	(9)	(10)
(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से स्नातक की डिग्री; (ii) कौशल परीक्षा मानक: श्रुतलेख: 10 मिनट @ 100 शब्द प्रति मिनट प्रतिलेखन: चालीस मिनट (अंग्रेजी); 55 मिनट (हिंदी) (कंप्यूटर पर); और (iii) किसी केंद्रीय या राज्य सरकार संस्थान या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से कम से कम छह महीने की अविध का कंप्यूटर अनुप्रयोग में डिप्लोमा / प्रमाण पत्र।	लागू नहीं होता ।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	सीधी भर्ती। टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थिति में एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालयों या अधिकरणों या स्वशासी निकायों के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा भरी जा सकेंगी:- (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 में आशुलिपिक श्रेणी 'घ' या समतुल्य के पद पर नियुक्ति के पश्चात् दस वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित की गई अर्हताएं और अनुभव रखता हो।

(11)	(12)		(13)
लागू नहीं होता ।	1. केंद्र के अध्यक्ष	- अध्यक्ष	लागू नहीं होता ।
	2. सचिव, विधि कार्य विभाग या उनका नामनिर्देशिती	- सदस्य	
	3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी	- सदस्य	
	4. अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट विशेषज्ञ सदस्य	- सदस्य	

[फा. सं. ए-60011/97/2019-प्रशा.III (वि.का.)]

सुनीता आनन्द, संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th June, 2022

G.S.R. 469(E).—In exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of section 30 of the New Delhi International Arbitration Centre Act, 2019 (17 of 2019), the Central Government hereby makes the following rules regulating the number of officers and employees, qualifications, appointment and other terms and conditions of services, of the Registrar, Counsel and other officers and employees of the Secretariat of the Centre, namely:-

- 1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the New Delhi International Arbitration Centre (Number of Posts and Recruitment of Registrar, Counsel and other officers and employees) Rules, 2022.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. **Definitions.** (1) In these rules unless the context otherwise requires, -
 - (a) "Act" means the New Delhi International Arbitration Centre Act, 2019 (17 of 2019);
 - (b) "Centre" means the New Delhi International Arbitration Centre established and incorporated under section 3 of the Act;
 - (c) "Counsel" means the person who is appointed as the Counsel under section 23 of the Act;
 - (d) "employees" means the employees of the Centre;
 - (e) "officers" means the officer of the Centre;
 - (f) "Registrar" means the person who is appointed as the Registrar under section 23 of the Act;
 - (g) "Schedule" means Schedule annexed to these rules;
 - (h) "Selection Committee" means the Selection Committee referred to under column (12) of the Schedule.
- (2) All other words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.
- 3. **Number of post, classification and level in pay matrix.**—The number of posts, their classification and level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of Schedule.
- 4. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—(1) The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule.
- (2) In case the Centre is not able to fill up any post due to non-availability of suitable candidates or any other reason, the Centre may appoint any person, who in the opinion of the Selection Committee, is possessing the qualifications prescribed for appointment to the post on deputation basis, on contract for a period of one year which may be extended up to a maximum period of three years with the approval of the Chairperson.
- (3) The remuneration to such contractual appointee may be fixed in consultation with the Financial Advisor of the Centre with reference to the pay level in the pay matrix prescribed for the post.
- 5. **Appointing authority.**—The Chairperson or any other officer of the Centre authorised by the Chairperson shall be the appointing authority of all the officers and employees of the Centre:

Provided that where an officer of the Centre is authorized to be appointing officer, the Chairperson shall be the appointing officer of such officer;

Provided further that the appointing authority shall consult the Central Government before any appointment is made.

- 6. **Procedure for direct recruitment.** (1) The procedure for making direct recruitment to a post, wherever specified in the Schedule, shall be as follows, namely:-
 - (i) the Centre shall invite applications for the post through an advertisement on all India basis;
 - (ii) the applications shall be screened by a Screening Committee constituted by the Chairperson;
 - (iii) in case the number of applications received are more then, the Selection Committee may recommend a preliminary examination to be conducted through an agency having experience in the field of conducting such examination selected on the basis of an open competitive process.
- (2) The reservation to the candidates belongings to the Scheduled Caste, the Scheduled Tribe, the Other Backward Class, the Economically Weaker Section and persons with disabilities shall be in accordance with the orders or instructions issued by the Central Government from time to time;
- (3) The recruitment shall be made by the Selection Committee.
- **7. Procedure for appointment on deputation.**—The procedure for appointment on deputation, wherever specified in the Schedule, shall be as follows, namely:-

- (i) the Centre shall invite applications for the posts through an advertisement on all India basis;
- (ii) the applications shall be screened by a Screening Committee constituted by the Chairperson;
- (iii) interviews shall be conducted for selection by the Selection Committee;

Provided that the initial appointment to the posts on deputation basis may be made by the Central Government.

- **8. Period of deputation.** (1) The period of deputation, including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department shall ordinarily not exceed three years.
- (2) The period of deputation may be extended with the approval of the Central Government in accordance with the orders or instructions of the Central Government issued from time to time in this behalf.

Provided that every request for extension of the period of deputation shall be forwarded by the Centre to the Central Government with prior approval of the Chairperson of the Centre.

- (3) The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of applications.
- **9. Absorption of employees appointed on deputation.**—(1) Notwithstanding anything in these rules, the persons appointed on deputation shall, on successful completion of the deputation term, be eligible to be considered for absorption.
 - (2) The absorption shall be made by the Centre with the prior approval of the Central Government.
 - (3) The absorption shall be subject to the condition that the deputationist exercises his option for absorption and the parent Department or cadre controlling authority shall not have objection for such absorption.
- **10. Disciplinary proceedings.**—The disciplinary proceedings against the officers and other employees of the Centre shall be as per rules and regulations applicable to officers and employees belonging to Group A, B or C posts, as the case may be, of the corresponding scales of pay of the Central Government.
- 11. Accommodation.—The officers and employees of the Centre shall be entitled to a house rent allowance at the same rate, as are admissible to officers and employees belonging to Group A, B and C posts, as the case may be, of the Central Government holding the post in corresponding scale of pay, stationed at those places.
- 12. Conditions of service.—The conditions of service of the officers and other employees of the Centre in the matters of pay, allowances, leave, provident fund, age of superannuation, pension and retirement benefits, medical facilities and other conditions of service, shall be regulated in accordance with such rules and regulations as are for the time being applicable to officers and employees belonging to Group A, B or C posts, as the case may be, in corresponding scales of pay in the Central Government.
- **13. Disqualification.**—No person,
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **14. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **15. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.
- **16. Residuary provisions.**—Matters with respect to which no express provision has been made under these rules, shall be referred by the Centre to the Central Government for its decision.

SCHEDULE

Name of	Number of post.	Classification.	Level in the	Whether	Age limit for
post.			pay matrix.	selection post	direct recruits.
				or non-selection post.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Registrar.	01*	Not applicable.	Level – 13.	Selection.	Not exceeding
	(2022)				fifty years.
	* Subject to variation depending upon work load.				

Educational and other qualification required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in cases of promotees.	Period of probation, if any.
(7)	(8)	(9)
Essential	No.	One year.
(a) (i) Bachelor's degree in Law; or		
(ii) Management from a recognised University; and		
(b) Sixteen years experience in field of Law or Management in the Central Government or State Government or Public Sector Undertakings or Autonomous bodies.		
Desirable :- Experience in handling Arbitration Matters.		

Method of recruitment.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation or absorption is to be made.	Selection Committee for considering cases of promotion or deputation or absorption or contract appointments	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(10)	(11)	(12)	(13)
Promotion failing which by deputation (including short-term contract) and failing both by direct recruitment.	Promotion: Deputy Registrar with eight years of regular service in the grade. Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or State Government or Courts or Tribunals or Autonomous bodies,- (a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with three years regular service in the post in Level – 12 of the pay matrix rendered after appointment thereto; or (iii) with eight years regular service in the post in Level – 11 of the pay matrix rendered after appointment thereto; and (b) possessing a degree in law or management from a recognised University or Institute.	 (i) Chairperson of the Centre - Chairman; (ii) Secretary, Department of Legal Affairs or his Nominee - Member; (iii) Chief Executive Officer - Member; (iv) Expert Member nominated by the Chairperson - Member. 	Not applicable.

ng or in

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Deputy Registrar.	01*	Not Applicable.	Level – 11.	Non-Selection.	Not applicable.
Ü	(2022) * Subject to variation depending upon work load.				

(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

10	11	12	13
Promotion failing which by deputation (including short-term contract).	Promotion: Counsel with six years of regular service in the grade or Assistant Registrar with eight years of regular service in the grade.	 (i) Chairperson of the Centre - Chairman; (ii) Secretary, Department of Legal Affairs or his Nominee - Member; (iii) Chief Executive Officer - Member; 	Not applicable.
	Deputation (including short- term contract): Officers of the Central Government or State Government or Courts or Tribunals or Autonomous bodies,-	(iv) Expert Member nominated by the Chairperson – Member;	
	(a) (i) holding analogous post on regular basis; or		
	(ii) with five years regular service in the post in Level – 10 of the pay matrix rendered after appointment thereto; or		
	(iii) with eight years regular service in the post in Level – 9 of the pay matrix rendered after appointment thereto; and		
	(b) possessing a degree in law or management from a recognised University or Institute.		
	Desirable - Three years' experience in Arbitration matters.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Counsel.	02* (2022)	Not applicable.	Level – 10.	Not applicable.	Not exceeding thirty five years.
	* Subject to variation depending upon work load.				

(7)	(8)	(9)
Essential -	No.	Two years for direct recruit.
(i) Bachelor's degree in Law or Management from a recognised University		
(ii) Four years experience in the field of law or management in the Central Government or State Government or Courts or Tribunals or Public Sector Undertaking or Autonomous bodies.		
Desirable :- Experience in handling arbitration matters.		

(10)	(11)	(12)	(13)
Direct Recruitment. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation (including short-term contract) basis from officers of Central Government or State Government or Courts or Tribunals or Autonomous bodies,-	(11) Not applicable.	(i) Chairperson of the Centre — Chairman (ii) Secretary, Department of Legal Affairs or his Nominee — Member (iii) Chief Executive Officer — Member (iv) Expert Member nominated by the Chairperson — Member	Not applicable.
 (a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with three years regular service in the post in Level – 9 of the pay matrix rendered after appointment thereto; or (iii) with five years regular service in the post in Level – 8 of the pay matrix rendered after appointment thereto; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). 			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Assistant Registrar.	01*	Not applicable.	Level-9.	Selection.	Not applicable.
	(2022)				
	* Subject to variation depending upon work load.				

(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

10)		(11)	(12)	(13)
Promotion failing which by deputation (including short-term contract).	and possessin recognised Un Deputation contract). O Government of Courts or Tr bodies,- (a) (i) holding regular basis; (ii) with three the post in Le rendered after (iii) with five the post in Le rendered after and (b) possessing recognised Un	lar service in Level – 7 g a degree in law from a niversity or Institution. (including short-term fficers of the Central or State Government or ibunals or Autonomous ing analogous post on or e years regular service in vel – 8 of the pay matrix appointment thereto; or years regular service in vel – 7 of the pay matrix or appointment thereto; g a degree in law from a niversity or Institute.	(i) Chairperson of the Centre — Chairman. (ii) Secretary, Department of Legal Affairs or his Nominee — Member. (iii) Chief Executive Officer — Member . (iv) Expert Member nominated by the Chairperson — Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. Assistant	01*	Not applicable.	Level-9.	Not applicable.	Not applicable.
Registrar	(2022)				
(Accounts).	* Subject to variation depending upon work load.				

(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

10)	(11)	(12)	(13)
Deputation	Deputation (including short-term	(i) Chairperson of the Centre — Chairman.	Not
(including short- term contract).	contract). Officers of the Central Government or State Government or Courts or Tribunals or Autonomous	(ii) Secretary, Department of Legal Affairs or his Nominee — Member.	Applicable.
	bodies,-	(iii) Chief Executive Officer –Member.	
	(i) holding analogous post on regular basis; or	(iv) Expert Member nominated by the Chairperson – Member.	
	(ii) with five years regular service as Assistant Accounts Officer or Auditor in Level – 8 of the pay matrix rendered after appointment thereto; or	·	
	(iii) with eight years regular service as Junior Accounts Officer or Senior Accountant or Accountant in Level - 7 of the pay matrix rendered after appointment thereto.		
	Desirable - (1) B.Com degree or equivalent from a recognised University or Institution.		
	(2) Having a pass certificate in subordinate accounts service or equivalent service conducted by any organised accounts department of the Central Government or training in Cash and Accounts work from the Institute of Secretariat Training and Management.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. Executive Assistant / Assistant Section Officer (Information Technology).	01* (2022) * Subject to variation depending upon work load.	Not applicable.	Level – 7.	Not applicable.	21-32 years (Relaxable for Government Servants up to forty years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government from time to time Note:- the crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application by the Centre.

(7)	(8)	(9)
Essential: (i) Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in Computer Science or Computer Application or Computer Engineering from a recognised University or Institution; or	Not applicable.	Two years for direct recruit.

Masters' Degree in Computer Application or Computer Science from a recognised University or Institution; and

(ii) Three years experience in Computer Programming or Data Processing or Networking in any reputed organisation.

10)	(11)	(12)	(13)
Direct recruitment. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation (including short-term contract) basis from officers of Central Government or State Government or Courts or Tribunals or Autonomous bodies,- (a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with five years regular service in the post in Level – 6 of the pay matrix rendered after appointment thereto; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).	Not applicable.	(i) Chairperson of the Centre — Chairman; (ii) Secretary, Department of Legal Affairs or his Nominee — Member; (iii) Chief Executive Officer — Member; (iv) Expert Member nominated by the Chairperson — Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. Executive Assistant/ Assistant Section Officer.	*03 (2022) *Subject to variation depending upon work load.	Not applicable.	Level – 7.	Not applicable.	21-32 years. (Relaxable for Government Servants up to forty years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government. Note:- the crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application.)

(7)	(8)	(9)
Essential: (i) Bachelor's degree from a recognised University or Institution;	Not applicable.	Two years for direct recruits.
(ii) Diploma or Certificate in Computer applications of minimum six months duration from any Central or State Government Institute or recognised University or Board; and		
(iii) Two years experience (Regular or Contractual) in the field of administration in the Central Government or State Government department or Autonomous bodies.		

10)	(11)	(12)		(13)
Direct recruitment. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation (including short-term contract) basis from officers of Central Government or State Government or Courts or Tribunals or Autonomous bodies,-	Not applicable	i) Chairperson of the Cer i) Secretary, Department Nominee i) Chief Executive Office (/) Expert Member nomin Chairperson	of Legal Affairs or his — Member er —Member	Not applicable.

(a) (i) holding analogous post on regular basis; or	
(ii) with five years regular service in the post in Level – 6 of the pay matrix rendered after appointment thereto; or	
(iii) with eight years regular service in the post in Level – 5 of the pay matrix rendered after appointment thereto; and	
(b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).	

	1	2	3	4	5	6
8.	Executive Assistant/ Assistant Section Officer (Accounts).	*01 (2022) * Subject to variation depending upon work load.	Not applicable.	Level – 7.	Not applicable.	Not applicable.

7	8	9
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

10)	(11)	(12)	(13)
Deputation (including short term contract).	Deputation (including short term contract) Officers of the Central Government or State Government or Courts or Tribunals or Autonomous bodies,- Essential:- (a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with five years regular service in the post in Level – 6 of the pay matrix rendered after appointment thereto; and (b) possessing a Bachelor's degree from a recognised University or Institution. Desirable:- (i) B.Com degree from a recognised University; (ii) having a pass certificate in subordinate accounts service or equivalent exam conducted by any organised accounts department of the Central Government; (iii) having successfully completed training in Cash and Accounts work from the Institute of Secretariat Training and Management; and (iv) Working knowledge of Computers.	(i) Chairperson of the Centre — Chairman. (ii) Secretary, Department of Legal Affairs or his Nominee — Member. (iii) Chief Executive Officer — Member. (iv) Expert Member nominated by the Chairperson — Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9. Private Secretary.	04* (2022) * Subject to variation depending upon work load.	Not applicable.	Level - 8	Non- selection.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

10)	(11)		(12)		(13)
(i) Fifty per cent. by	C I	(i)	Chairperson of the Centre	– Chairman.	Not
promotion on the basis of 'merit cum seniority' of eligible	'C' in Level – 7 with two years regular service in the grade.	(ii)	Secretary, Department of L Nominee	egal Affairs or his – Member.	applicable.
candidates failing which on deputation	Deputation (including short term contract) Officers of the	(iii)	Chief Executive Officer	-Member.	
(including short term	Central Government or State Government or Courts or	(iv)	Expert Member nominated l Chairperson	by the — Member.	
contract); and	Tribunals or Autonomous bodies,-		Champerson	– Wiember.	
(ii) fifty per cent. by deputation (including short term contract).	(a) (i) holding analogous post on regular basis; or				
	(ii) holding the post of Court Master or Stenographer Grade 'C' with two years regular service in Level – 7 of the pay matrix rendered after appointment thereto; and				
	(b) possessing Bachelor's degree from a recognised University or Institution.				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10. Personal Assistant (Stenographer Grade 'C').	03* (2022) * Subject to variation depending upon work load.	Not applicable.	Level -7.	Not applicable.	21-32 years. (Relaxable for Government Servants up to forty years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications by the Centre.

(7)	(8)	(9)
(i) Bachelor's degree from a recognised University or Institution;	Not applicable.	Two years for
(ii) Skill Test Norms:		direct recruit.
Dictation: 10 minutes @ 100 w.p.m.		
Transcription: forty minutes (Eng.); 55 minutes (Hindi) (on computer); and		
(iii) Diploma/Certificate in Computer applications of minimum six months duration from any Central or State Government Institute or any recognised University or Board.		

(10)	(11)	(12)	(13)
Direct recruitment. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation (including short-term contract) basis from officers of Central Government or State Government or Courts or Tribunals or Autonomous bodies,- (a) (i) holding analogous post on regular basis;	Not applicable.	 (i) Chairperson of the Centre - Chairman. (ii) Secretary, Department of Legal Affairs or his Nominee - Member. (iii) Chief Executive Officer - Member. (iv) Expert Member nominated by the Chairperson - Member. 	Not applicable.

or				
(ii) holding the post of Stenographer Grade 'D' or equivalent post with ten years regular service in Level – 4 of the pay matrix rendered after appointment thereto; and				
(b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).				

[F.No. A-60011/97/2019-Admn.III(LA)] SUNITA ANAND, Jt. Secy. & Legal Adviser